न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

राजाखेड़ा–धौलपुर

(पीठासीन अधिकारी –सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–113/16 दर्ज तिथिः– 03.10.2016

1. श्रीमती उर्मिला देवी उम्र करीब 52 साल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद
2. सन्दीप कुमार उम्र करीब 30 साल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान ।

.................वादीगण

बनाम

1. गीताराम पुत्र हरविलास जाति राजपूत निवासी करील की रोड मढईया राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान ।
2. कैलाश चन्द पिसरान छीतरमल जाति चिहार निवासी वार्ड न0 11 राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान।
3. चन्द्रभान पिसरान छीतरमल जाति चिहार निवासी वार्ड न0 11 राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान।
4. दिनेश चन्द्र पुत्र ईश्वरी प्रसाद जाति चिहार निवासी वार्ड नम्बर 25 आगरा रोड राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान ।
5. अमित कुमार पिसरान जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर।
6. निर्दोश कुमार पिसरान जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर।
7. श्रीमती शारदा देवी पुत्री गोपी पत्नी श्री किशन प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वसुन्धरा कोलोनी गाजियाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
8. श्री गुड्डी देवी पुत्री गोपीचन्द पत्नी श्री सत्यप्रकाश (सन्तो पचारी) जाति ब्राहमण निवासी गांव दिगनेर आगरा उत्तर प्रदेश।
9. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री गोपीचन्द पत्नी स्व0 सीयाराम जाति ब्राहमण निवासी बसुन्धरा कॉलोनी गाजियावाद जिला गाजियावाद उत्तर प्रदेश।
10. श्रीमती रामवेटी पत्नी गीताराम जाति राजपूत निवासी करील की रोड मढईया राजाखेडा जिला धौलपुर राजास्थान ।
11. अशोक कुमार पुत्र दाउदयाल जाति माथुर वैश्य निवासी गांधी चबूतरा के पास मैन बाजार कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान।
12. श्रीमती सुधारानी पत्नी अशोक कुमार जाति माथुर वैश्य निवासी गांधी चबूतरा के पास मैन बाजार कस्वा राजाखेडा जिला धौलपुर।
13. राजेश पुत्र नत्थीलाल जातिगण ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा।
14. विनोद पुत्र राजेश जातिगण ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा।

.... प्रतिवादीगण

Manisha

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा जिला–धौलपुर (राज.)

15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजाखेडा तामील जरिये शाखा प्रबन्धक
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

.... तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः— श्री किशन सिंह त्यागी ।
प्रतिवादी अधिवक्ताः—, श्री जे.पी. राजपूत श्री अश्विनी कुमार जैन

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 23.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते स्वत्व घोषणा,बंटवारा काश्त मय स्थायी निषेधाज्ञा अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बावत पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत स्वत्व घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी कृषि भूमि स्थित वाके ग्राम महवार नम्बर 1 तहसील राजाखेडा का विवरण निम्नांकित हैः—

(ए) खाता संख्या 212

क.स.	खसरा नम्बर	रकवा
1	429	1.01 बीघा
2	430	1.14 बीघा
3	466	0.17 विस्वा
4	2650 / 464	1.09 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 1 विस्वा है।

(बी) खाता संख्या 122

क.स.	खसरा नम्बर	रकवा
1	345	1.5 बीघा

(सी) खाता संख्या 123

क.स.	खसरा नम्बर	रकवा
1	348	1.5 बीघा

(डी) खाता संख्या 124

क.स.	खसरा नम्बर	रकवा
1	465	1.13 बीघा

विवादित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के संयुक्त अधिकार खातेदारी की आराजी है जिसका बटवारा नहीं हुआ है अविभाजित है प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 14 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ना ही कभी रहा है। विवादित आराजी जिसका विवरण वाद पत्र की मद संख्या 1 (ए,बी) में वर्णित है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 संयुक्त रूप से 1 / 4 भाग व 6 संयुक्त रूप से 1 / 6 भाग के शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के साथ सहखातेदार काश्तकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 डी में वर्णित विवादित कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गोपीचन्द 1 / 6 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार

Maijsmk
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड

है जिनका निधन हो चुका है जिसका समस्त तर्का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने विरासतन उत्तराधिकार में प्राप्त किया है विवादित आराजी जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 1 ए में वर्णित है में से खसरा नम्बर 2650/464 के पूर्व दिशा में प्रतिवादी संख्या 13 के अधिकार खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2651/464 रकवा 5 बिस्वा स्थित है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 13 व 14 ने कृषि कार्य नही कर मिट्टी की ईंट थपाई हेतु विक्रय बिना अनुमति सक्षम अधिकारी कर दिया है। एक माह पूर्व का जुमला प्रविादीगण संख्या 01 लगायत 14 ने वादीगण को धमकी दी कि प्रविादीगण संख्या 01 लगायत 12 विवादित आराजी में से सडक के सहारे की कीमती जमीन पर वादीगण को वेदखल कर स्वयं कब्जा करेंगें तथा अपने हिस्से से अधिक विवादित कृषि भूमि के रकवे को जोतेंगें बायेंगें तथा प्रतिविादीगण संख्या 13 व 14 विवादित आराजी खसरा नंबर 2650/464 की पूर्वी मेंढों को तोडते हुए वादीगण को बेदखल कर ईट थपाई हेतु ईट भटटा के लिए मिटटी को जबरन उठाकर खनन कार्य बिना रिकॉर्डेड खातेदारों की सहमति के करेंगें वादीगण ने जोर जबरदस्ती की तो हाथ पैर तोड देंगें। वादीगण ने प्रतिवादीगण की उपरोक्त धमकी से व्यथित होकर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 को विवादित आराजी के सहमति के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बटवारा करने का निवेदन किया तो बटवारा करने से इंकारी हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 13 व 14 को आराजी ख0नं0 2650/464 में से मिट्टी खनन नहीं करने हेतु निवेदन किया तो आमदा फसाद हो गये तथा जुमला प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 14 ने विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर अकेले कब्जा काश्त करने की धमकी दी वादी गण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 के मधुर संबंध नहीं रहें हैं इसलिए शामिल काश्त करना संभव नहीं रहा है। वादीगण को अपने हितों की रक्षार्थ यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण विवादित आराजी का बटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कराए तथा पृथक-पृथक खाता एवं लगान कायम करावें तथा पृथक हिस्से पर कब्जा प्राप्त करे। एतदर्थ वादीगण दावेदार है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 14 को विवादित आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं अकेले कब्जा नहीं करें तथा बिना सहमति वादीगण एवं बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के विवादित आराजी में से मिट्टी उठाकर खनन कार्य नहीं करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 अपने हिस्से से अधिक पर कब्जा नहीं करें। अधिक कब्जा से बटवारे के अधीन बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण का कराया जावें। विवादित आराजी जिसका विवरण वादपत्र में वर्णित है वादीगण एवं प्रतिवादी गण संख्या 05 व 06 के पूर्वज जगदीश पुत्र गोपीचंद 1/6 भाग के खातेदार हैं जिनका निधन हो गया है। वादीगण को वादकरण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद दायरी से 01 माह पूर्व धमकी देने पर प्राप्त हो चुका है जो निरंतर जारी है। प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 को मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु तथा प्रतिवादीसंख्या 15 के पक्ष में विवादित आराजी रहन हैं इस कारण एवं प्रतिवादीगण संख्या 16 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावें।

विवादित कृषि भूमि जिसका विवरण वादपत्र में वर्णित है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 05 व जगदीश पुत्र गोपीचंद हिस्सा 01/06 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। तथा इसी प्रकार से जगदीश पुत्र गोपीचंद का नाम विलोपित कर राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 के नाम की प्रविष्टियां अंकित की जावें। विवादित कृषि भूमि का बटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स किया जाकर राजस्व अभिलेख में खाता एवं लगान पृथक-पृथक किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होकर वादीगण को बेदखल नहीं करे वादीगण को उनके हिस्से की विवादित आराजी को कब्जा काश्त करने से नहीं रोके तथा प्रतिवादी संख्या 13 व 14 विवादित आराजी जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ए) में वर्णित है में से खसरा नम्बर 2650/464 की पूर्वी मेढ जो खसरा नम्बर 2651/464 प्रतिवादी संख्या 13 की खातेदारी से लगी है को तोडकर मिट्टी नहीं उठावे तथा कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत वेजा नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5,6,10,11,12,14 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं आए अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 16 तहसीलदार राजाखेडा न्यायालय में उपस्थित आए उनके द्वारा कोई जबावदेही नहीं की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एड0 जे0पी0 राजपूत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा दिनांक 25.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प मदवार न0 1 में उभयपक्षकारान के मध्य बंटवारा कराए जाने हेतु सहमति बनी। तथा दावा प्रारम्भिक डिकी किया जाकर विवादित आराजी का वाईं मीट्स एवं बाउण्डरा के आधार पर बंटवारा कर कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार राजाखेडा को निर्देशित किया गया। प्रकरण मे दिनांक 10.11.2022 को प्रा0पत्र 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर संशोधित डिकी जारी की गयी। तहसीलदार राजाखेडा से पत्रांक 1342 दिनांक 26.06.23 के द्वारा मुताबिक संशोधित डिकी कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किए जाकर वकील उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया लेकिन वकुलाय द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। प्रकरण में दिनांक 27.9.2023 को एड0 ऐ.के. जैन द्वारा प्रार्थी राजेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 पेश कर आदेशिक दिनांक 2.3.17 के द्वारा हुयी एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने बावत निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र का जबाव वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 पर वकील उभयपक्ष को सुना गया वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए आदेशिक दिनांक 2.3.17 के द्वारा हुयी एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने बावत निवेदन किया गया तथा वकील अप्रार्थी / वादी द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि तामील विधिवत करायी गयी है। वन्दना नाबालिग नहीं है नाही उसके फर्जी हस्ताक्षर कराये गये थे। वन्दना प्रार्थी/प्रतिवादी की परिवारी सदस्य है जिसने सम्मनों की सूचना प्रतिवादी को समय पर दी है इसलिए प्रतिवादीगण प्रकरण की कार्यवाही की निगरानी करते रहे है। प्रार्थी को तलब कुर्रेजात प्रस्ताव की जानकारी रही है। प्रार्थी प्रकरण को कन्टैस्ट करना नहीं चाहता बल्कि प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। दावा वादीगण दिनांक 25.6.18 को डिकी किया जा चुका है डिकी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से आक्षेपित नहीं किया जा सकता डिकी को केवल अपील के माध्यम से ही आक्षेपित किया जा सकता है ।

3. हमने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 पर वकील उभयपक्ष की बहस, जबाव प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया वकील प्रार्थी द्वारा आदेश 9 नियम 7 प्रार्थना पत्र वादपत्र के प्रारम्भिक डिकी, संशोधित डिकी जारी हाने के पश्चात कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत प्रस्तुत की है प्रकरण में पूर्व में काफी कार्यवाही होने के उपरांत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 पेश किया गया है। चूंकि प्रकरण लगभग 5 वर्ष पुराना है प्रकरण में बंटवारे पर सहमति बनी है उसके पश्चात डिकी एवं संशोधित डिकी जारी की गयी है। पत्रावली एवं दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आदेश 9 नियम 7 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के बंटवारे में अनावश्यक विलम्ब होगा। जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः वाद गौर/मनन बहस प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 खारिज किया जाता है। दौराने बहस अंतिम वकील वादी द्वारा वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किए जाने हेतु निवेदन किया है तथा अन्य कोई अनुतोष नही चाहा है। वकील प्रतिवादी द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अतः हम दावा मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा जिला-धौलपुर (राज.)

अतः आदेश है कि

दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिकी किया जाता है :–

Manisht

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

क्र0स0	नाम खातेदार	ख0न0	रकवा	दिशा
1	गीताराम पुत्र हरिविलारा हि0ब0 रामबेटी पत्नी गीताराम हि0 कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा राजाखेडा मु.वि.क.	465 / 1 466 429 / 2	0.4003 0.2150 0.0379	प. प.
	योग	किता–3	0.6532	
2	सुधारानी पत्नी अशोक कुमार हि0 व अशोक कुमार पुत्र दाउदयाल हि0 कौम ठाकुर वैश्य सा. देह खातेदार	348 345 / 1	0.3162 0.1559	उत्तर
	योग	किता–2	0.4721	
3	उर्मिलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद व अमित कुमार संदीपकुमार वालिग व निर्दोश नावा0 पुत्रान जगदीशप्रसाद हि0व0 कौम ब्राहमण सा देह खातेदार	2650 / 464 1 430 / 1 429 / 3	0.2529 0.1930 0.0746	पू. द. उ.
	योग	किता–3	0.5205	
4	कैलाशचन्द पुत्र छीतरमल चन्द्रभान पुत्र छीतरमल हि0 1/2 व दिनेशचन्द पुत्र ईश्वरीप्रसाद हि0 1/2 कौम ब्राहमण सा देह	2650 / 464 2 465 / 2 429 / 1	0.1138 0.0170 0.1531	प. पू. पू.
	योग	किता 3	0.2839	
5	गुड्डी, मुन्नी, शारदा पुत्रीयान पि. गोपीचन्द हि0 व0 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार	345 / 2 430 / 2	0.1603 0.2370	दक्षिण उत्तर
	योग	किता 2	0.3973	

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे।इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23/9/24 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Manisha

(मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा * जिला–धौलपुर (राज.)

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

राजाखेडा–धौलपुर

(पीठासीन अधिकारी –सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–113 / 16 दर्ज तिथिः– 03.10.2016

1. श्रीमती उर्मिला देवी उम्र करीब 52 साल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद
2. सन्दीप कुमार उम्र करीब 30 साल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद समस्त जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान ।

..................वादीगण

बनाम

1. गीताराम पुत्र हरविलास जाति राजपूत निवासी करील की रोड मढईया राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान ।
2. कैलाश चन्द पिसरान छीतरमल जाति चिहार निवासी वार्ड न0 11 राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान।
3. चन्द्रभान पिसरान छीतरमल जाति चिहार निवासी वार्ड न0 11 राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान।
4. दिनेश चन्द्र पुत्र ईश्वरी प्रसाद जाति चिहार निवासी वार्ड नम्बर 25 आगरा रोड राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान ।
5. अमित कुमार पिसरान जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर।
6. निर्दोश कुमार पिसरान जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर।
7. श्रीमती शारदा देवी पुत्री गोपी पत्नी श्री किशन प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वसुन्धरा कोलोनी गाजियाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
8. श्री गुड्डी देवी पुत्री गोपीचन्द पत्नी श्री सत्यप्रकाश (सन्तो पचारी) जाति ब्राहमण निवासी गांव दिगनेर आगरा उत्तर प्रदेश।
9. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री गोपीचन्द पत्नी स्व0 सीयाराम जाति ब्राहमण निवासी बसुन्धरा कॉलोनी गाजियावाद जिला गाजियावाद उत्तर प्रदेश।
10. श्रीमती रामवेटी पत्नी गीताराम जाति राजपूत निवासी करील की रोड मढईया राजाखेडा जिला धौलपुर राजास्थान ।
11. अशोक कुमार पुत्र दाउदयाल जाति माथुर वैश्य निवासी गांधी चबूतरा के पास मैन बाजार कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान।
12. श्रीमती सुधारानी पत्नी अशोक कुमार जाति माथुर वैश्य निवासी गांधी चबूतरा के पास मैन बाजार कस्वा राजाखेडा जिला धौलपुर।
13. राजेश पुत्र नत्थीलाल जातिगण ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा।
14. विनोद पुत्र राजेश जातिगण ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 14 थाने के पास जोशीयान गली कस्बा राजाखेडा।

.... प्रतिवादीगण

Manisha

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा * जिला–धौलपुर (राज.) *

15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजाखेडा तामील जरिये शाखा प्रबन्धक
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

.... तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः— श्री किशन सिंह त्यागी ।
प्रतिवादी अधिवक्ताः—, श्री जे.पी. राजपूत श्री अश्विनी कुमार जैन

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा, स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अन्तिम रूप से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :—

क्र0स0	नाम खातेदार	ख0न0	रकवा	दिशा
1	गीताराम पुत्र हरिविलास हि0ब0 रामबेटी पत्नी गीताराम हि0 कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा राजाखेडा मु.वि.क.	465/1 466 429/2	0.4003 0.2150 0.0379	प. प.
	योग	**किता—3**	**0.6532**	
2	सुधारानी पत्नी अशोक कुमार हि0 व अशोक कुमार पुत्र दाउदयाल हि0 कौम ठाकुर वैश्य सा. देह खातेदार	348 345/1	0.3162 0.1559	उत्तर
	योग	**किता—2**	**0.4721**	
3	उर्मिलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद व अमित कुमार संदीपकुमार वालिग व निर्दोश नावा0 पुत्रान जगदीशप्रसाद हि0व0 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार	2650/464 1 430/1 429/3	0.2529 0.1930 0.0746	पू. द. उ.
	योग	**किता—3**	**0.5205**	
4	कैलाशचन्द पुत्र छीतरमल चन्द्रभान पुत्र छीतरमल हि0 1/2 व दिनेशचन्द पुत्र ईश्वरीप्रसाद हि0 1/2 कौम ब्राहमण सा देह	2650/464 2 465/2 429/1	0.1138 0.0170 0.1531	प. पू. पू.
	योग	**किता 3**	**0.2839**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा जिला—धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

5	गुड्डी, मुन्नी, शारदा पुत्रीयान पि. गोपीचन्द हि० व० कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार	345 / 2 430 / 2	0.1603 0.2370	दक्षिण उत्तर
	योग	**किता 2**	**0.3973**	

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की गई ।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 23/9/24 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा कुमारी मीना, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27/6/24	वकुलाम उक्त। पत्रा० वास्ते जवाब वकीलवादी 09R7 दिनांक 4/7/24 को पेश हो। Manish
4/7/24	वकुलाम उक्त। पत्रा० वास्ते जवाब द्वारा वकीलवादी प्रा०पत्र 09R7 दिनांक 26/07/24 को पेश हो। Manish
26/7/24	वकुलाम उक्त। पत्रा० वास्ते ~~जवाब द्वारा~~ बहस वकीलवादी प्रा०पत्र 09R7 दिनांक 29/8/24 को पेश हो। Manish
29/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 05/09/24 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर
5/9/24	वकुलाम उक्त। पत्रा० वास्ते बहस प्रा०पत्र 09R7 एवं और दुरुस्ती दिनांक 12/9/24 को पेश हो। पत्रा० के अवलोकन से स्पष्ट है जवाब प्रा०पत्र 09R7 पूर्व से हो आदेशिका पर लिया जाता है। पत्रावली दिनांक 12/9/24 को पेश हो।
12/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 19/9/24 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर
19/9/24	पत्रा० पेश हुई। प्रा० [illegible] दिनांक 23/9/24 को पेश हो। Manish
23/9/24	पत्रा० पेश हुई। वकुलाम उक्त। वकुलाम को प्रा०पत्र 09R7 पर सुना गया बाद और बहस प्रा०पत्र 09R7 खारिज किया जाता है। तथा वकीलवादी [illegible] से प्राप्त दुरुस्ती प्रस्ताव पर वकील आपत्ति को

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत ______________________ मुकाम ______________________

______________________ बनाम ______________________

किस्म मुकदमा ______________________ नं. ______________ सन् ______________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	सुना गया। वकील वादी द्वारा दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव आंशिक रूप से डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया। मैंने वकील वादीपक्ष को सुना पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन मैं दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव आंशिक रूप से डिक्री किए जाना उचित समझता हूँ। अतः दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डि० प० किया गया पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजाखेड	